केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/191 दिनांक: 05.09.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00151
CICOM/R/2019/00587

अपीलकर्ता : श्री हेमराज ठाकुर,
गांव - लझयाणी, पो0 - नगरोटा,
तह0 - भोरज, जिला - हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश - 176045.

निर्णय की तारीख: 05.09.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	17.07.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	07.08.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एच. पी. सेन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	16.08.2019
प्रथम अपील आवेदन की डायरी सं.	16278/21.08.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रेषित दिनांक 17.07.2019 का आर.टी.आई. आवेदन जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 24.07.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया, जिसके माध्यम से चार बिंदुओं सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एच. पी. सेन केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 17.07.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं 1, 2 एवं 3 से संबंधित सूचनाएं जो कि श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 07.08.2019 को प्रेषित की गई है, बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं 4 से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा प्रशासन अनुभाग को ऑनलाइन अग्रसारित किया गया था, परन्तु अभी तक अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है । तद्नुसार **श्री विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अपीलकर्ता को उनके दिनांक 17.07.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 4 से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएं ।**

3. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
06 SEP 2019
D. No.......
Initials.......

पीयूष अग्रवाल
(पीयूष अग्रवाल)
पंजीयक एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26105021

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रशासन अनुभाग, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

06/09/19
06/09/2019